

फर्द अहकाम

(नियम 13)

82

SCMS
2020/00085
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री. ~~वि. लोकाराण~~

हलका ~~भू. क. व. ग. त. सि. ६~~

पुत्र श्री ~~वि. लोकाराण~~ जाति ~~हरीजन~~

निवासी ~~भू. क. व. ग. त. सि. ६~~

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु. नं. 82 / वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भू. क. व. ग. त. सि. ६ ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा भू. क. व. ग. त. सि. ६ के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 वर्ग फी. किस्म भूमि हरीजन पर नाजायज अतिक्रमण कर कारत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी रात्रकीय कार्य हेतु जोधपुर पदारे हो पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।	 (पदारी)
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की पाली उपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हों।	 (पदारी)

पत्रावली पेश हुई। गौर सागल की तरफ से
उम्मेद वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु
समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021
को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीछलीन अधिकारी भाण
सिवाना उग्रही पर गणै छे पत्रावली दिनांक
17-2-2021 को पेश है। ^{एम} 10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गौर सागल अनुपालित। गौर
सागल को जवाब हेतु मन्निम अवलर डिना जाकर
पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है। ^{एम}
तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गौर सागल अनुपालित।
गौर सागल को जवाब हेतु बार बार अवलर
डिनेशन के उपरान्त भी कोई विधि समस्त
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किले गौर सागल को
प्रतिक्रमा मानते हुए पत्रावली फैलल सुकार
है। निर्णय भलग से लिखा जाकर शाखिल
पत्रावली है। पत्रावली फैलल सुकार होकर
शाखिल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर